



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr. Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2025/463-469

Dated: 21.02.2025

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर कार्यालय उपयोग हेतु कृषि मशीनरी की आवश्यकता है। कृषि उपकरण की अनुमानित लागत रुपये 2.30 लाख है। इसकी आपूर्ति हेतु लाईसेन्स धारक फर्म/एजेन्सी/अनुभवी फर्म/अधिकृत व्यवहारियों से खुली निविदा की तिथि 01.03.2025 प्रांत 10.30 बजे तक द्वि-पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। खुली निविदा प्रस्ताव दिनांक 01.03.2025 को प्रांत 11.00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 01.03.2025 को ही प्रांत 11.30 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक खुली निविदा उक्त तिथियों के अनुसार अपना खुली निविदा प्रस्ताव विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि	प्रतिशत धरोहर राशि
1-	Farm Implements: 1. Lift Disc Harrow 2. Trailing Disc Harrow 3. Seed Cum Fertilizer Dril 4. Bund Maker	2.30 Lac	4600/-

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 01.03.2025 अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
3. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां-अलवर।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर को निवेदन है कि समिति सदस्यों को भेजकर कार्य सम्पन्न कराने का श्रम करावें।
6. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....
7. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर को प्रेषित कर लेख है खुली निविदा सूचना एवं प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित कराये।
8. सूचना बोर्ड कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. सूचना बोर्ड श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
10. सूचना बोर्ड श्रीमान सचिव, पंचायत समिति कुम्हेर।
11. फार्म प्रबंधक/फार्म प्रभारी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
12. रक्षित फाइल

प्रभारी अधिकारी

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr. Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F./Estt./ARSS/K/2025/463-469

Dated: 21.02.2025

कृषि मशीनरी हेतु खुली निविदा प्रपत्र

खुली निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 01.03.2025 समय : प्रात 11:00 बजे तक


अनुमानित लागत रू 2.30 लाख रूपये निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रू0 (डी0डी0/ बैंकर चैक द्वारा)

बजट हैड: –NP 2I ARSS Kumher वित्तीय वर्ष:- 2024-25

1. कृषि उपकरण के क्रय हेतु खुली निविदा प्रपत्र।
2. खुली निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं0 लैण्डलाईन, मोबाइल व ई-मेल सहित.....
.....
.....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर.....
.....
.....
4. किसको संबोधित किया गया- श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर) निविदा सूचना संदर्भ 463-469 दिनांक 21.02.2025
5. खुली निविदा सूचना संदर्भ एफ0 (OT)/STORE/ARSS/Kumher/2025/463-469 दिनांक 21.02.2025
6. हम, प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना संख्या 463-469 दिनांक 21.02.2025 में वर्णित शर्तों से तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में दी गई उक्त खुली निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)।
7. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि को घोषणा पत्र 'ब' संलग्न है।
8. खुली निविदा फार्म के साथ गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र 'स' संलग्न है।

9. खुली निविदा फार्म के साथ **FALL CLAUSE** प्रमाण प्रपत्र 'द' संलग्न है।
10. खुली निविदा के साथ वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा यू.डी.आई.एन द्वारा जारी (वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) संलग्न प्रपत्र 'र' है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मय मोहर एवं दिनांक


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि मशीनरी के क्रय हेतु सीमित बोली प्रारूप व अन्य शर्तें :-

1. खुली निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी। कृषि मशीनरी की आपूर्ति एवं स्थापना श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर करनी होगी।
2. खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में कृषि मशीनरी हेतु खुली निविदा अपनी राशी दर्शाए। कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. खुली निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। जिस पर कृषि मशीनरी के क्रय के लिए खुली निविदा अंकित होना चाहिए।
4. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर द्वारा फर्म को आदेशित कृषि मशीनरी के संतोषप्रद होने की पुष्टि संबंधित कार्यालय कमेटी द्वारा प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
5. खुली निविदा दाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य/आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
6. खुली निविदा दाता खुली निविदा प्रपत्र की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा खुली निविदा प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण को स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
7. खुली निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काट छांट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। काट छांट/ओवर राईटिंग होने पर बोली रद्द की जा सकेगी।
8. किसी भी खुली निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर को होगा।
9. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जा सकेगी।
10. कार्यादेश के अनुसार कृषि मशीनरी की आपूर्ति का कार्य में स्थापना 15 दिवस में करना होगा।
11. सफल खुली निविदा दाता के रूप से कृषि मशीनरी की आपूर्ति करने में असफल रहने अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पैनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य क्रय अन्य फर्म से कराकर सकेंगे।
12. खुली निविदा प्रपत्र दिनांक 01.03.2025 को 10.30 बजे तक श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर के कार्यालय में प्राप्त किये जाकर प्रात 11 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे एवं दिनांक 01.03.2025 को प्रात 11.30 बजे उपस्थित खुली निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। निर्धारित दिनांक व समय पश्चात खुली निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. **वित्तीय बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार** -बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सार भूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी अर्थात्:-
 - (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित नहो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

14.

सत्यनिष्ठा संहिता –उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति–

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दानया प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभि प्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशयसे दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

15.

हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्ष कार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उस में सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषय वस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और न ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

16. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण—प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:—

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र - 'ल') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथा स्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश

पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।


1. **अपील का प्रारूप** - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - 'ल') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।


(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. **अपील फाइल करने के लिए फीस** - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रति देय होगी।

- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
3. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रतिनिः शुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
17. बोली दाता को यह लिखकर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जायेगी। इसके लिए **PRICE FALL CLAUSE** प्रमाण पत्र 'द' संलग्न करना होगा।
18. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा एवं सामान्य वित्त एवं लेखानियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता, अधिनियम, 2012, एवं अधिनियम 2013 एवं वित्तीय विभाग, राजस्थान सूचना की दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान अनुसार लागू होगी।
19. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, भरतपुर राजस्थान होगा।
20. कृषि मशीनरी को कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर पहुँचाना होगा।
21. केन्द्र की कमेटी की उपस्थिति में कृषि मशीनरी का निरीक्षण किया जावेगा। संतोषजनक पाये जाने पर ही कृषि मशीनरी प्राप्त किये जावेंगे।
22. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी करने से पूर्व निविदा स्वीकृति के तीन दिवस में रुपये 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निस्पादित करना होगा व तीन प्रतिशत बकाया अमानत राशि रुपये 6900 जमा करनी होगी।
23. कोषालय द्वारा पारित होने पर कृषि यंत्रों का भुगतान किया जावेगा।
24. निविदा प्रपत्र में तकनीकी व वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में संलग्न कर प्रस्तुत करने होंगे।


 प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।


 प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर

क्रमांक: एफ (OT) / Store / ARSS/Kumher / 2025 / 463-469

दिनांक:- 21.02.2025


कृषि मशीनरी का स्पेशिफिकेशन

तकनीकी मापदंड लिफाफा नं - 1 में रखना है।

Name of Item		Specifications	
Budget Head	:	NP 2I ARSS Kumher	
Name of Item	S.No	Parts	Technical specification
1. (B) Disc Harrow (lift type) - 14 Disc	01	14 Discs	1. Frame Angle - 75 X 6 mm 2. Circle Plate - 18-20 mm 3. Disc 24" Double Gainda (9 kg approx) 4. Beam - 50mm 5. Weight - Minimum 425 kg 6. Bearing - 32308
2. Disc Harrow (Trailed Type Lift Harrow)	01	14 Discs	1. Frame Angle - 90 X 8 mm 2. Patti 65 X 16mm 3. Disc 24" Double Gainda (10 kg approx) 4. Beam - 65 mm 5. Weight - Minimum 620 kg 6. Bearing - 32308
3. Seed cum Fertilizer Drill	01	9 Tine	1. A- 65 X 8, 45X 5 mm 2. P- 50 X 10, 50X 12, 50X 16 mm 3. Tine - 22" 4. Sheet - 15, 16, 14 guage 5. With Plastic Pipe 6. Front wheel/Side Blance Wheel 7. Double Box with Girari/Pistol type 8. Weight - Minimum 240 kg
4. Bund Maker	01	Frame	1. 50x50x5 Angle Beem/65x6 angle 2. MS Sheet 12 Guage 3. Lift - 50x10 mm 4. Weight - Minimum 60 kg 5. MS Sheet Framing - 45x45x5 mm angle


Terms and Conditions:

1. Free delivery and installation.
2. Complete demonstration and training for operation.
3. Installation of equipment should be at ARSS Kumher free of cost.
4. For all agriculture equipments, the supplier will have to install and fitting of item and give maintenance service on call for 2 years, if required.
5. All equipments FOR at ARSS Kumher.
6. The successful bidder has to demonstrate the working of equipment at the site of installation.
7. Delivery period: Within 15 days from the date of issue of this supply order.
8. Place of delivery: ARSS Kumher.


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

9. Payment shall be made within 30 days after delivery, installation and training, if any, of the goods in satisfactory condition.
10. The equipment shall be supplied, installed as per the specifications agreed by you and again being enclosed in schedule of rates Packaging and forwarding, Excise duty, Sales tax, Entry tax, if any, transportation including insurance and installation charges are inclusive in the approved FOR rates.
11. Supply order may be placed as per office need & required.
12. Technical bid & Financial bid may be submitted sprate envolups with relevant papers.
13. Financial bid may be opened after success bidder in technical bid.

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर

क्रमांक: एफ (OT) / Store / ARSS/Kumher / 2025 / 463-469


दिनांक:-21.02.2025

खुली निविदा हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

क. सं.	आवश्यक दस्तावेजात का विवरण	संलग्न सूची क्रमांक
1.	निविदा शर्तों पर सहमति मय हस्ताक्षर	
2.	निविदादाता द्वारा संलग्न घोषणा प्रपत्र 'ब'	
3.	निविदादाता द्वारा संलग्न घोषणा प्रपत्र 'स'	
4.	निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र 'द'	
5.	निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र 'य' (If MSME certificate enclosed)	
6.	वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा यू.डी.आई.एन द्वारा जारी (वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) प्रपत्र 'र'	
7.	The Manufacturer/supplier should submit all item wise brochure/photo.	
8.	Supplier have manctioned service center place & online service support number on firm letter hed & warranty certificate on letter hed.	
9.	Manufacturer/supplier should submit past supply order.	
10.	निविदा शुल्क रुपये 500 /-	
11.	2 प्रतिशत धरोहर राशि का डी डी रुपये 4600 /-	

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रुप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर

क्रमांक: एफ (OT) / Store / ARSS/Kumher / 2025 / 463-469 दिनांक:-21.02.2025

प्रपत्र - 'अ' A

वित्तीय निविदा

सेवा में,

श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र,
कुम्हेर।

विषय:- विभिन्न कृषि मशीनरी सप्लाई करने हेतु दर प्रस्तुत करने बावत्।

1. संवेदक अथवा फर्म का नाम:-
2. स्थाई पता:-
3. टेलीफोन नं0.....मोबाइल नं0.....
4. टिन नं0:
5. पैन नं0:-.....(फोटोप्रति संलग्न करें)
6. आई डी0 नं0 (वोटर आईडी/ आधार कार्ड नं0आदि):.....(फोटोप्रति संलग्न करें)

7. निविदा का विवरण:-

विभिन्न कृषि मशीनरी सप्लाई करने हेतु विवरण निम्न प्रकार :-

क्र0 सं0	विवरण	नग	राशि प्रति नग	कुल योग (समस्त कर सहित)
1.	Lift Disc Harrow	1		
2.	Trailing Disc Harrow	1		
3.	Seed Cum Fertilizer Dril	1		
4.	Bund Maker	1		

8. वारंटी समय.....।

9. सर्विस मुहैया कराने वाले एजेन्सी एवं स्टेशन का स्थान:.....।

10. मैं/हम सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने / हमने इस निविदा में दी गई सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। यह निविदा मैंने / हमने नियम व शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर जमा करा रहा हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

(नाम.....)


पता:.....)

मोबाईल नं0:.....)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बONAFAID विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।


यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (Forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के कृषि मशीनरी/उपकरण की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

Price Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही कृषि विज्ञान केन्द्र जिला धोलपुर से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

Affidavit**(For MSME on non-judicial stamp paper of 100/-)**

I.....S/o.....

Aged..... yrs, residing at Proprietor/Partner/Director of M/s

..... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued
 acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries
 Center.....The acknowledgment No.
 isDated and has been issued for manufacture
 of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

**Signature of proprietor /Director
 Authorized Signatory with Rubber
 Stamp and date**


Verification

I..... S/oAged yrs residing at

..... Proprietor / Partner/ Director of M/s verify and

confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumber (Bharatpur)

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स.....का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की संलग्न है।


क्र.सं	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में)
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष
सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN.

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं सील

अंकेशक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

FORM NO. 1

(On Firm's letter head)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

[See rule 83 of RTPP and GCC No.-23]

Appeal No..... of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official Address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent (S):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal:

.....

.....

.....
7. Prayer:..... (Supported by an affidavit)

.....

.....

.....

Place

Date

Appellant's Signature

[Signature]
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)